<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u> क्रमांक / एफ–5 / 1259 / 2023 / 10–11 / 533 + भोपाल, दिनांक 20 12 2023 प्रति.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण—II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।

विषय:— धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर—धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/ 154962/2022)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR015/2023-BHO दिनांक 18.12.2023 .

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार कर वन मण्डल अधिकारी के माध्यम् से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

करन का कायवाहा का जा स

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 12 2023

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1259 / 2023 / 10-11 / 5338

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर भेजकर लेख है कि आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा

सके। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



## भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA

## पर्यावरण, वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

दिनांक : 18 /12/2023.

क्रमांक: 6-एमपीआर 015/2023-बीएचओ/

प्रति,

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, (मध्यप्रदेश) ।

धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 244.039 हे. वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) (244.039 हे. धार एवं 6.654 हे. अलीरापजपुर वनमण्डल) आरक्षित वनभूमि पश्चिम रेल्वे बडोदरा को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/RAIL/154962/2022) ।

- 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 015/2023-बीएचओ दिनांक 21/10/2023.
- 2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1259/2023/10-11/5074 दिनांक 21/11/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- 1. The area proposed for diversion is 244.039 ha while in online the area mentioned as 248.329 ha which should need to be corrected. The area correction is done by the undersigned in online Part I but accordingly corrections in other columns like component wise break up, village wise break up etc. and subsequently in Part II are needed to be done by the PP and DFO shall be uploaded.
- 2. The area in DSS analysis of the KML submitted for diversion area is found 249.82 ha while it should be 244.039 ha. Further the location of proposed station is also not marked on KML shall
- 3. The details regarding violation in Para 11 is not correctly filled regarding person responsible for violation. This need to be reviewed by the State Govt.
- 4. In Para 12 of online Part II of Alirajpur Division the information related to work progress seems incorrect. This need to be reviewed and corrected.
- 5. The component wise breakup need to be in more details because component like station building, Staff room, circulation area, internal roads etc are also involved as per the layout submitted in online portal as an additional document.
- 6. The format used for providing cost analysis in C/B analysis is not as per the format prescribed in the guideline. This need to be provided as per the prescribed guideline.
- 7. The DSS analysis of the CA area shows that for the proposed 494 ha area the calculated area comes 545.33 ha out of which 29 ha is MDF. The State shall be uploaded to correct the KML accordingly because the proposal required actual CA area of 488.078 ha only.
- Further, in CA area of 45 ha marked in Sardarpur Range-469 overlapped with the area proposed for CA in some other case of FP/MP/TRANS/156656/2022 (6.145 ha) need to be reviewed and

- It is also observed that the same KML file has been uploaded against 25.0 ha patch and 30.00 ha patch in Sardarpur Range-476. This also need to be reviewed and corrected.
- 10. The information provided against point 3 of this office EDS is not satisfactory. The detail regarding type of violation is to be mentioned with the action taken etc. This is informed that so cause notice has been issued to the concerned which is not satisfactory.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(डॉ. योंगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।